प्रेस-नोट दि0-05.08.2025

थाना-संग्रामगढ़, जनपद- प्रतापगढ़

➡थाना संग्रामगढ़ पुलिस व स्वाट टीम के साथ हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

➡ थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अस्थवा मीरपुर रोड के पास थाना संग्रामगढ़ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के पैर में गोली लगी व अन्य 01 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किया गया।

➡घायल अभियुक्त सूर्यभान पटेल को ईलाज हेतु सीएचसी संग्रामगढ़ ले जाया गया है, जहां से घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर किया गया है।

➡अभियुक्तों के कब्जे से लूट की लगभग 3.740 kg सफेद धातु व 5.7gram पीली धातु के आभूषण, 01 मोटरसाइकिल, 01 तमंचा 312 बोर, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 312 बोर बरामद किया गया है।

➡ अभियुक्तों द्वारा दिनांक 28.07.2025 को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अवसानगंज में वादी से हुई ज्वेलरी लूट की घटना कारित थी, जिसमें थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

➡ इससे पूर्व उक्त अभियोग में दिनांक 31.07.2025 को थाना संग्रामगढ़ पुलिस से हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के पैर में गोली लगी थी एवं 02 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किए गये थे तथा अभी तक कुल 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 04.08.2025 को रात्रि को ASP(W) श्री संजय राय व CO लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व मे थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया मय फोर्स एवं स्वाट टीम प्रभारी श्री उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया मय टीम द्वारा थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अस्थवा मीरपुर रोड के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 01 शातिर अभियुक्त सूर्यभान पटेल पुत्र महेश पटेल निवासी ग्राम रामपुर गोहरी थाना थरवई जनपद प्रयागराज के दाएं पैर में लगी गोली व अन्य 01 अभियुक्त, अंकित सोनी पुत्र रामकृष्ण सोनी निवासी ग्राम सेवईत बाजार थाना सोरांव जनपद प्रयागराज को मौके से गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु सीएचसी संग्रामगढ़ ले जाया गया है, जहां से घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर किया गया है।।

अभियुक्तों के कब्जे से लूट की लगभग 3.740 kg सफेद धातु व 5.7gram पीली धातु के आभूषण, 01 मोटरसाइकिल, 01 तमंचा 312 बोर, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 312 बोर बरामद किया गया है।

दिनांक 28.07.2025 को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अवसानगंज में वादी से हुई ज्वेलरी लूट की घटना के संबंध में थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 137/25, धारा 309(4), 311, 115(2), 351(3) बीएनएस बनाम 04 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

*घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में टीमें गठित की गई थीं। घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों से साक्ष्य संकलन व निरंतर की जा रही तलाश/घेराबंदी के क्रम में आज दिनांक 04.08.2025 को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अस्थवा मीरपुर रोड के पास थाना संग्रामगढ़ पुलिस से हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे पुलिस हिरासत में इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है तथा मौके से 01 अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है।

इससे पूर्व दिनांक 31.07.2025 को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत नेवादा नहर के पास थाना संग्रामगढ़ पुलिस से हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया था तथा मौके से 02 अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया था। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तार/ घायल अभियुक्तों का विवरण-
01. घायल अभियुक्त सूर्यभान पटेल पुत्र महेश पटेल निवासी ग्राम रामपुर गोहरी थाना थरवई जनपद प्रयागराज।
02. गिरफ्तार अभियुक्त अंकित सोनी पुत्र रामकृष्ण सोनी निवासी ग्राम सेवईत बाजार थाना सोरांव जनपद प्रयागराज।

आपराधिक इतिहास-
01- सूर्यभान पटेल पुत्र महेश पटेल निवासी ग्राम रामपुर गोहरी थाना थरवई जनपद प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 137/25, धारा 309(4), 311, 115(2), 351(3) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

02- अंकित सोनी पुत्र रामकृष्ण सोनी निवासी ग्राम सेवईत बाजार थाना सोरांव जनपद प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 137/25, धारा 309(4), 311, 115(2), 351(3) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

उक्त घटना पूर्व में घायल/ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. घायल अभियुक्त नीरज पासी उर्फ कुलदीप भारतीय पुत्र संतोष भारतीय निवासी मातादीन का पुरवा थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज।

02. गिरफ्तार संजीव कुमार उर्फ तूफानी पुत्र बाबूलाल कन्नौजिया निवासी गौहरी थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज।

03. गिरफ्तार अभिषेक सोनी उर्फ छोटे पुत्र अनिल सोनी निवासी फाफामऊ साजन गली थाना फाफामऊ प्रयागराज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01- थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया मय हमराह उ0नि0 सूबेदार राय, उ0नि0 प्रशान्त कटियार, उ0नि0 विनय वर्मा, उ0नि0 गुरदीप सिंह, का0 धनन्जय श्रीवास्तव, का0 रामनरेश जाट, का0 अजीत प्रताप सिंह, का0 केवल साहू, का0 वीरेन्द्र कुमार, का0 रामनिवासी यादव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

02- स्वाट टीम प्रभारी श्री उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया मय हमराह हे0का0 पंकज दुबे, का0 जागीर सिंह, का0 श्रीराम सिंह, का आशुतोष पांडे मय चालक राजेन्द्र कुमार।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

➡प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

➡थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 04 अदद देशी नाजायज बम के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

➡अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे गोदाम रेलवे पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया-

➡अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में हत्या का प्रयास, चोरी, NDPS act, आबकारी अधिनियम व विस्फोटक अधिनियम जैसे मुकदमें पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 अंकित प्रजापति व का० मो0 आरिफ द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 05.08.2025 को 04 अदद देशी नाजायज बम के साथ 02 अभियुक्तों 01. मो0 नसीम उर्फ छोटू पुत्र मो० जहीर निवासी विवेक नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष 02. पिन्टू यादव पुत्र रघुवीर यादव निवासी टक्करगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे गोदाम रेलवे पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया है।

दोनों अभियुक्तों के पास से 04 अदद देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 358/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. मो0 नसीम उर्फ छोटू पुत्र मो० जहीर निवासी विवेक नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष ।
02. पिन्टू यादव पुत्र रघुवीर यादव निवासी टक्करगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष ।

बरामदगी-
04 अदद देशी नाजायज बम बरामद ।

01-अभियुक्त मो0 नसीम उर्फ छोटू पुत्र मो0 जहीर निवासी विवेक नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 549/19, धारा 307 भा0द0वि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़
02. मु0अ0सं0 551/19, धारा 411 भा0द0वि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़
03. मु0अ0सं0 234/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

04. मु0अ0सं0 246/21, धारा 380/411 भा0द0वि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

05. मु0अ0सं0 483/22, धारा 411/413/465/467/468/471 भा0द0वि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

06. मु0अ0सं0 775/22, धारा 380/411/454 भा0द0वि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

07. मु0अ0सं0 144/25, धारा 305/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

08. मु0अ0सं0 358/25, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

02-अभियुक्त पिन्टू यादव पुत्र रघुवीर यादव निवासी टक्करगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 167/2012, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

02. मु0अ0सं0 144/25, धारा 305/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

03. मु0अ0सं0 358/25, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 अंकित प्रजापति व का० मो0 आरिफ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

➡प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

➡थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 04 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्तं को किया गया गिरफ्तार-

➡अभियुक्त को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत भैरव बाबा की थान के पास हिल्ला चैराहा बहद ग्राम बजहाभीट के पास से गिरफ्तार किया गया-

➡अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर व थाना संग्रामगढ़ में मारपीट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व विस्फोटक अधिनियम जैसे मुकदमें पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री दीपनारायण के नेतृत्व में उ0नि0 श्री शिशिर पटेल मय हमराह का0 शिवशंकर यादव, उ0नि0 श्री मो0नदीम खान मय हमराह का राजेश प्रजापति चालक, चीता-35 के कर्मगण का0 हरवीर सिंह व का0 अजीत शर्मा द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 05.08.2025 को 04 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त 01. प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र जियालाल गुप्ता निवासी कस्बा संग्रामगढ़ थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत भैरव बाबा की थान के पास हिल्ला चैराहा बहद ग्राम बजहाभीट के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से 04 अदद देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 154/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र जियालाल गुप्ता निवासी कस्बा संग्रामगढ़ थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष ।

बरामदगी-

04 अदद देशी नाजायज बम बरामद।

आपराधिक इतिहास प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र जियालाल गुप्ता निवासी कस्बा संग्रामगढ़ थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ

01- मु0अ0सं0 33/22 धारा 08/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मानिकपुर

02- मु0अ0सं0 159/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर

03- मु0अ0सं0 176/23 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना संग्रामगढ

04- मु0अ0सं0 154/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना मानिकपुर

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री शिशिर पटेल मय हमराह का0 शिवशंकर यादव, उ0नि0 श्री मो0नदीम खान मय हमराह का राजेश प्रजापति चालक, चीता-35 के कर्मगण का0 हरवीर सिंह व का0 अजीत शर्मा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अजीत सिंह मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रताप, का0 विकाश जायसवाल, का0 चन्द्रकेश चौधरी के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, के दौरान केस नं0/2066/2021 मु0अ0सं0 564 / 2020 धारा 147/148/149/308/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारंटी अभियुक्तों, 01.सतीश पटेल पुत्र राम दुलार पटेल 02.सोनेलाल पटेल पुत्र स्व0 राजेश कुमार पटेल निवासीगण ग्राम औवार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ को उनके घर ग्राम औवार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सतीश पटेल पुत्र राम दुलार पटेल ग्राम औवार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ ।
2. सोनेलाल पटेल पुत्र स्व0 राजेश कुमार पटेल ग्राम औवार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अजीत सिंह मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रताप, का0 विकाश जायसवाल, का0 चन्द्रकेश चौधरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सक्रिय 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग किया गया पंजीकृत-

➡ एसपी प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

➡थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लूट, मारपीट गाली गलौज धमकी, जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 03 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

➡ उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

थाना कोतवाली नगर -
अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण बैस के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में दिनांक 05.08.2025 को सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग लीडर फिरोज अहमद पुत्र मो० इलियास उम्र 34 वर्षनि0- रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ व सदस्यों (1) खुर्शीद अहमद पुत्र मो० इलियास उम्र 27 वर्ष नि0 - रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ (2) मो0 इलियास पुत्र जान मोहम्मद उर्फ अलगु उम्र 62 वर्ष नि0 - रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 359/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके से चोरी, धोखधड़ी के अपराधों को कारित किया है।

गैंगलीडर फिरोज अहमद पुत्र मो0 इलियास उम्र 34 वर्ष नि0 रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ व गैंग सदस्यों (1) खुर्शीद अहमद पुत्र मो0 इलियास उम्र 27 वर्ष नि0 - रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ (2) मो0 इलियास पुत्र जान मोहम्मद उर्फ अलग उम्र 62 वर्ष नि0 रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर एक संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर रखा है जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा दिनांक 24.06.2024 को असलहा व धारदार हथियार से लैस होकर कई मोटर साइकिलों / दुपहिया वाहनों पर सवार होकर नकाबपोस होकर महुली मण्डी जनपद प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े मो0 आसिफ की आढ़त /दुकान पर गाली गुप्ता देते हुये जान से मार डालने की नियत से गोली चलाई गयी, गोली नहीं लगने पर

धारदार हथियार से सिर पर वार कर गम्भीर चोट पहुंचाई गयी। उसकी दुकान / आढ़त पर बिक्री का रखा हुआ नब्बे हजार रूपये (90000/- रुपये) लूट लिया गया। जिसके सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 349/24 धारा 395, 397 भादवि बनाम खुर्शीद आदि व 5-6 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत हुआ। इसी गिरोह द्वारा पूर्व में दिनांक 18.06.2024 को दिन दहाड़े महुली मण्डी प्रतापगढ़ में लाठी डंडा व लोहे की राड व असलहा से लैस होकर वादी शहबाज पुत्र स्व0 उबैदउर्रहमान नि० अजीत नगर थाना कोत0 नगर प्रतापगढ़ की दुकान पर जाकर गाली गुप्ता करते हुये लाठी डंडा व लोहे की राडों से मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचायी गयी और दुकान में तोड़ फोड़ कर क्षति पहुंचायी गयी। वादी उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 333/24 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 भादवि बनाम फिरोज आदि व अन्य व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत हुआ। इस गिरोह के गैंग लीडर फिरोज अहमद व गैंग सदस्य खुर्शीद अहमद द्वारा दिनांक 02.06.2025 को सुबह 06 बजे वादी मो0 आसिफ पुत्र मो0 फारूख नि0 नई बस्ती बेगमवार्ड थाना कोत0 नगर प्रतापगढ़ अपनी मोटर साइकिल खड़ी करके दुकान की तरफ जा रहा था तो उसका रास्ता रोककर मां बहन की गालियां देते हुये मुकदमें मे पैरवी न करने के लिये कहा गया और जान से मारने की धमकी देते हुये लात घूसों से पीटा गया। जिसके सम्बन्ध में वादी उपरोक्त की लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 237/ 25 धारा 126(2), 115(2), 352, 351(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ था।

इस गिरोह के गैगलीडर फिरोज अहमद व सदस्य खुर्शीद अहमद, मो0 इलियास के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में लूट, मारपीट, धमकी, गाली गलौज व गैंगस्टर एक्ट जैसे मुकदमें पंजीकृत हैं।

1- गैंग लीडर फिरोज अहमद पुत्र मो० इलियास उम्र 34 वर्षनि0- रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 349/2024 धारा 395, 397 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0- 333/2024 धारा 323, 325, 427, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0- 237/2025 धारा 126(2), 115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 359/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

2- खुर्शीद अहमद पुत्र मो० इलियास उम्र 27 वर्ष नि0 - रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 349/2024 धारा 395, 397 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0- 333/2024 धारा 323, 325, 427, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0- 237/2025 धारा 126(2), 115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 359/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

3- मो0 इलियास पुत्र जान मोहम्मद उर्फ अलगु उम्र 62 वर्ष नि0 - रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 349/2024 धारा 395, 397 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0- 333/2024 धारा 323, 325, 427, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 359/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी व हे0का नासिर कमाल, कां0 मोहित प्रताप सिंह, आरक्षी मान सिंह के सर्तकता से 03 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी व हे0का नासिर कमाल, कां0 मोहित प्रताप सिंह, आरक्षी मान सिंह ने 03 गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिंकजा

उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी व हे0का नासिर कमाल, कां0 मोहित प्रताप सिंह, आरक्षी मान सिंह ने साये की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी व हे0का नासिर कमाल, कां0 मोहित प्रताप सिंह, आरक्षी मान सिंह को प्रशस्ति- पत्र,नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश-

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर संगठित तरीके से साजिश कर लूट, मारपीट गाली.गलौज धमकी जैसे संगीन अपराध में संलिप्त हैं-

उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी व हे0का नासिर कमाल, कां0 मोहित प्रताप सिंह, आरक्षी मान सिंह के सहयोग से थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी-

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी व हे0का नासिर कमाल, कां0 मोहित प्रताप सिंह, आरक्षी मान सिंह के सहयोग से दिनांक 05.08.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 359/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली नगर में 03 वांछित अभियुक्त (गैंग लीडर) फिरोज अहमद पुत्र मो० इलियास उम्र 34 वर्ष नि0 रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ सदस्यों (1) खुर्शीद अहमद पुत्र मो० इलियास उम्र 27 वर्ष नि0 रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ (2) मो0 इलियास पुत्र जान मोहम्मद उर्फ अलगु उम्र 62 वर्ष नि0 रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र अंतर्गत महुली मण्डी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 असगर पुत्र मुनीर अहमद निवासी ग्राम सडक खदेरूआपुर सिटी थाना कोत० देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष ;गैंग सदस्यद्ध

आपराधिक इतिहास-
1- गैंग लीडर फिरोज अहमद पुत्र मो० इलियास उम्र 34 वर्षनि0- रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ ाका आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0- 349/2024 धारा 395, 397 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0- 333/2024 धारा 323, 325, 427, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3. मु0अ0सं0- 237/2025 धारा 126(2), 115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0 359/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

2- खुर्शीद अहमद पुत्र मो० इलियास उम्र 27 वर्ष नि0 - रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 349/2024 धारा 395, 397 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

2. मु0अ0सं0- 333/2024 धारा 323, 325, 427, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3. मु0अ0सं0- 237/2025 धारा 126(2), 115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0 359/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

3- मो0 इलियास पुत्र जान मोहम्मद उर्फ अलगु उम्र 62 वर्ष नि0 - रंजीतपुर चिलबिला थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 349/2024 धारा 395, 397 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

2. मु0अ0सं0- 333/2024 धारा 323, 325, 427, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3. मु0अ0सं0 359/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़